

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मधु भारती पिता-रघुनाथ साह ग्राम-रहमगंज, पो०-लालबाग थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा	हिप रिपलेस्मेंट 5	₹ 1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	बेबी आबृति सिंह पिता-प्रदीप कुमार सिंह ग्राम-पो०-खराउकला थाना-सहार जिला-भोजपुर, आरा	कोकलीयर इम्पलांट	₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 7,25,000/- (सात लाख पच्चीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
387813..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 687(14)

पटना, दिनांक 13.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संजय सरावगी, सदस्य बिहार विधान सभा, 83-दरभंगा पता-आ० 79/80 विधायक प्लैट पटेल पथ पटना-80000/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/5/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विजय सिंह पिता- रामजी सिंह ग्राम-गवसपुर पो०-नीरीया तुलसीपुर थाना-चीक सौरा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	असमीना खातुन पति-मो० रिजवान ग्राम-ककोडा पो०-बागनगर थाना-महलगांव जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
3	सरोज देवी पति-उपेन्द्र राय ग्राम-पीपरा खास पो०+थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
4	गीता देवी पति-प्रमोद राय ग्राम-पो०-मथना मिलीक थाना-गौरौल जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
5	बबीता देवी पति-अवधेश प्रसाद ग्राम-चकपर पो०-थाना-राजगीर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।

31/8/16
12/5/16

6	सेराज मंसुरी पिता-मो० क्यामुद्दीन मंसुरी ग्राम-पो०-रानी सागर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
7	मो० मोईनउद्दीन पिता-स्व सहमद ग्राम-कोराही पो०-माधोडीह थाना-संग्रामपुर जिला-मुंगेर	मस्तिष्क रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
8	मो० अमानुदीन पिता-मो० युसुल ग्राम-कमरुद्दीनगंज पो०-बिहारशरीफ थाना-लहेरी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	नरेश राय पिता-स्व. जग नारायण राय ग्राम-कमरजी पो०-फतेहपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	मो० इस्लामुद्दीन पिता-स्व० मो० इसराईल ग्राम-इमादपुर पो०+थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	रूपेश कुमार पिता-कृष्ण प्रसाद ग्राम-मंझौलीया पो०+थाना-रौशनगंज जिला-गया	सर्जरी	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,50,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387824 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

30/11/2016

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...387824...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

694(14)

पटना, दिनांक 13.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.05.16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.05.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संध्या देवी पति-हरि भुषण ग्राम-पो०-नवाडीह थाना-इन्द्रपुरी जिला-रोहतास	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	उमा देवी पति-परमानन्द शर्मा ग्राम-आश्रम चौक पो०+थाना+जिला-अररिया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	राम लगीना राय पिता-स्व. सकलदीप राय ग्राम-लगमा पो०-बहादुरपुर, थाना-घाटो जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
4	राधे श्याम शर्मा पिता-लक्ष्मीनाथ शर्मा ग्राम-सत्यदेवपुरी ओल्ड एक्सचेंज रोड, पो०+थाना+जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	फुलचन यादव पिता-रामेश्वर यादव ग्राम-धपरी, पो०-रामचरीत्र मैदान थाना-हवेली खड़गपुर जिला-मुंगेर	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	कमला देवी पति-चन्द्रिका चौधरी ग्राम-पो०-धर्म परसा थाना-माझागढ़ जिला-गोपालगंज	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,60,000/-

21/11/16
2/11/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509391 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509391 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 13.05.16

ज्ञापांक 691(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/5/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	देवता देवी पति-स्व. सत्य नारायण पोद्दार ग्राम+पो०-मदारपुर थाना-महेशखुट जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
2	कारी लाल पंडित पिता-स्व० कोलो पंडित ग्राम-छेट संदलपुर पो०-सा कमाल थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अलाउद्दीन पिता-मो० रफीक ग्राम-बाजीतपुर पो०-लगमा, थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मास्टर अली इमरान पिता-अफजल अंसारी ग्राम-बहुअरवा पो०-मझरीया किशुन थाना-जगदीशपुर जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	अब्दुल कयुम पिता-स्व० मो० फरमान ग्राम-सदातपुर पो०-कोल्हुआ पैगम्बरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

12/5/16

6	वैदेही देवी पति-संजय कुमार ग्राम-सबलपुर बभन टोली पो0+थाना-सोनपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,85,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,85,000 /-(छः लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...509387.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...509387.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)


ज्ञापांक

690(14)

पटना, दिनांक

13.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हौस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुनीता देवी पति-रविन्द्र यादव ग्राम-उसरी पो०-थाना-गोगरी जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	एस. अजमल हुसैन पिता-हुसैन ग्राम-मछुआ टोली आलमगंज पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	राजेन्द्र शर्मा पिता-स्व. लखन लाल शर्मा मो०-स्टेशन रोड हिलसा पो०-थाना-हिलसा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	उषा देवी पति-दुनदुन राय ग्राम-खरगपुर पो०-गोरगामा थाना-नया गांव पी०एस० जिला-बेगूसराय	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	मो० मुस्लिम पिता-स्व० मो० अल्लौदीन ग्राम-गंजा गली पीबहोर पो०-महेन्दु थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

21/11/13
12/12/16

6	निकी कुमार पिता-दिनेश सिंह ग्राम-मजरोही रघुनन्दन पो0-सहदेई बुजुर्ग थाना-देसरी जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 70,000 /-(सतर हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 5,05,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,05,000 /-(पांच लाख पांच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0509383.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....509383.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 692 (14)

पटना, दिनांक 13.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

का) 14/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उषा देवी पति-स्व. यदुवीर सिंह ग्राम-बाघी हरिनारायण पो०-बाघी थाना-मनीयारी जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं०-52173 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	कैलाश साह पिता-स्व. राम खेलावन साह ग्राम-दिलावरपुर पो०-मिल्कीचक थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा सी.आरनं०-50729 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	रीता देवी पति-शिव चन्द्र साह ग्राम-डरुआ पो०-सुककी थाना-पातेपुर जिला-वैशाली सी.आरनं०-11194 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	निरो देवी पति-चन्द्रशेखर झा ग्राम-नवटोल पो०-नया नगर थाना-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा सी.आरनं०-46706 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/16
22/5/16

5	चमेली देवी पति-चटर चौधरी ग्राम-चीरैलीडीह पो0-चीरैलीबाजार थाना-खीजर सराय जिला-गया सी.आर नं0-42561 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
6	शनिचरी देवी पति-महेन्द्र यादव ग्राम-पो0-जैय नगर थाना-भरगामा जिला-अररिया सी.आरनं0-33594 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	जुगेश्वर मल्लाह पिता-स्व. घुटर मल्लाह ग्राम-कुआरी पो0-हरपट्टी थाना-बनमनखी जिला-पूर्णिया सी.आरनं0-94822 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
8	मुकेश कुमार पिता-लखन राय ग्राम-नया टोला पो0-लालु छपरा थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-71394 / 15	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	मनोज कुमार पिता-उदय प्रताप भट्ट ग्राम-पो0-गौदाढ थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर सी.आर नं0-27051 / 16	लीवर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
10	सुनैना देवी पति-मोखातर राय ग्राम-पो0-सुन्दर पट्टी थाना-पकड़ी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-33459 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	शशी भुषण कुमार पिता-भरत राय ग्राम-बेला पो0-नेउरा थाना-बिहटा जिला-पटना सी.आरनं0-41365 / 16 20/11/16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

12	सुनील कुमार झा पिता-स्व. मटुकधारी झा ग्राम-सरहद पो0-लोहट थाना-पंडौल जिला-मधुबनी सी.आरनं0-41516 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	देव नन्दन कुमार पिता-कमली दास ग्राम-सोंधी पो0-अलानी थाना-सलखुआ जिला-सहरसा सी.आरनं0-9200 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	कृष्णा प्रसाद पिता-राम आशीष प्रसाद ग्राम-पो0-जीतौड़ा थाना-पीरो जिला-भोजपुर सी.आरनं0-105191 / 15	किडनी रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
15	माया देवी पति-सुरेन्द्र यादव ग्राम-सीधवल पो0-तेतरीया थाना-हुसैनगंज जिल-सीवान सी.आरनं0-51089 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	सरवीन यादव पिता-स्व. खोना यादव ग्राम-पोखरीया पो0-दनौली फुलवरीया थाना-बलीया जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-23121 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	मंजु देवी पति-महेश प्रसाद सिंह ग्राम-कचरा मोहल्ला पो0-थाना-मोकामा जिला-पटना सी.आरनं0-159859 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	सरोस्वती देवी पति-विश्वनाथ मंडल ग्राम-दोनवारी पो0-बनभीतरा थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी सी.आर नं0-39185 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

21/4/13
12/5/16

19	सुमा देवी पति-बाबु लाल यादव ग्राम-गोपाल कंडा पो0+थाना-फतेहपुर जिला-गया सी.आरनं0-120720 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
20	भुलीया देवी पति-कुशेश्वर पासवान ग्राम-तेलवा, पो0-नेमुआ थाना+जिला-सुपौल सी.आरनं0-55044 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
21	नीलु देवी पति-नागेश्वर राम ग्राम-पो0-खिलवत थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सी.आरनं0-95746 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
22	नरेश कुमार सिंह पिता-स्व. राम विलास सिंह ग्राम-भगवानपुर चक शेखु पो0+थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर सी.आरनं. -30268 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
23	भागीरथी महतो पिता-स्व. भुखल महतो ग्राम-पो0-पश्चिमी हडसर थाना-दरौंदा, जिला-सीवान सी.आरनं0-47713 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
24	संजय कुमार पिता-स्व. विजय नन्दन प्रसाद मो0-402, हरिचरन रेसीडेंसी अम्बेदकर पथ, जगदेव पथ, पो0-वी0भी0कालेज थाना-राजीव नगर, जिला-पटना पंजीसं0-057996 / 16	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।
25	मनोज चौधरी पिता-रामाशीष चौधरी ग्राम-समस्थु स्थान बिहटा पो0+थाना-बिहटा जिला-पटना सी.आरनं0-47009 / 16 मि.प्र. 12/5/16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

26	अब्दुल लतीफ पिता-अगहनु मियां ग्राम-सीवा पो0-गोनौली थाना-अंधराठाडी जिला-मधुबनी सी.आरनं0-26991 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
27	रंजीत कुमार साह पिता-बालमुकुन्द साह ग्राम-घोघा बाजार पो0+थाना-घोघा जिला-भागलपुर सी.आरनं0-24594 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
28	आमोद कुमार राय पिता-सुख नन्दन राय ग्राम- नयागांव पो0-नयागंज थाना-देसरी जिला-वैशाली सी.आरनं0-37422 / 16	गुर्दा	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 20,65,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 20,65,000/- (बीस लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 507378 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

31/11/13
[Signature]

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....509378...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 693(14)

पटना, दिनांक 13.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शिव चन्द्र राम, मा0 मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार विकास भवन नया सचिवालय बेली रोड, पटना 800015 /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
9/11/16